बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश संख्या 305 / 2026

सं0सं0–अ0नि0 (02) 92 / 2026 / नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1714(24) दिनांक 03.09.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती स्वाती कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम–227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 01.06.2026 से 21.06.2026 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 92 / 2026 / नि0सं0 2727 दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / मुख्य अभियोजक, औरंगाबाद / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती स्वाती कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 92 / 2026 / नि0सं0 2727 दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपिः– ✓ प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/10/26
उप सचिव।